CNR No.–UPGZ01-000116-2003

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–13, गाजियाबाद।

उपस्थित: पीठासीन अधिकारी– सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

सत्र परीक्षण संख्याः–1781/2003

(कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं०–**501781/2003**)

राज्य बनाम धर्मेन्द्र आदि

मुकदमा अपराध संख्या–710/2003

अंतर्गत धारा–307 भा०दं०सं०

थाना–साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद

उपस्थितः-

1. राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री सुनील कौशिक।

दिनांक–**24.03.2025**

1– पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर कोई अभियुक्त उपस्थित नहीं है।

2– प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मो पुत्र स्व० चौब सिंह निवासी ग्राम भाज्जू थाना बाबरी (भौरा कलां) जिला मुजफ्फरनगर के विरुद्ध एन.बी.डब्लू. एवं धारा 82, 83 दं०प्र०सं० की प्रोसेस जारी की गयी थी। एन.बी.डब्लू. पर तामीलकर्ता / उपनिरीक्षक श्री अशोक कुमार, थाना साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद द्वारा आख्या दी गयी है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र के घर पर ताला लगा मिला। घर का कोई सदस्य वर्तमान में गांव में नहीं रहता है। अभियुक्त के गांव के पडोसी लोगों ने बताया कि उक्त अभियुक्त धर्मेन्द्र की मृत्यु आपसी रंजिश में झगडा होने के कारण दिनांक 01 अगस्त 2007 में हो गयी थी। परिवार के लोगों व पड़ोसियों से मृत्यु प्रमाणपत्र की जानकारी की गयी तो अभियुक्त धर्मेन्द्र का मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो सका। ग्राम प्रधान की तहरीर में ग्राम प्रधान धीरज राज ने भी उपरोक्त अभियुक्त की मृत्यु होने की पुष्टि की है तथा गांव के दो पडोसी परिवार की तहरीर भी मृत्यु के संबंध में साथ में संलग्न है।

3– श्री धीरज राज, प्रधान ग्राम पंचायत भाज्जू वि०ख० शामली द्वारा जारी हस्तलिखित लैटर हैड दिनांकित 06.12.2024 में कथन किया है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मो पुत्र स्व० चौव सिंह, ग्राम भाज्जू, थाना बाबरी (भौरा – कला) शामली (मुजफ्फरनगर) का निवासी था, जिसकी मृत्यु दिनांक 01 अगस्त 2007 में आपसी रंजिश में झगडा होने के कारण हो गयी थी, जो पत्रावली पर कागज संख्या 19 ख/6 के रूप में संलग्न है। उक्त लैटर हैड को साक्षी सी.डब्लू. 01 धीरज राज द्वारा अपने बयान में प्रदर्श ख–1 के रूप में साबित किया है।

4– अभियुक्त के गांव के पडोसी श्री अंकुर बालियान तथा ओमवीर सिंह द्वारा एक हस्तलिखित तहरीर में कथन किया है कि उनके गाँव भाज्जु थाना बाबरी (भौरा– कला) शामली, मुजफ्फरनगर का निवासी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व० चौब सिंह की सन 2007 में गांव में ही आपसी रंजिश में झगड़ा होने के कारण मृत्यु हो गयी थी। उक्त हस्तलिखित तहरीर को साक्षी सी.डब्लू. 02 अंकुर बालियान ने अपने बयान में प्रदर्श ख–2 के रूप में साबित किया है। उक्त हस्तलिखित तहरीर पत्रावली पर कागज संख्या 19 ख/5 के रूप में संलग्न है।

5– तामीलकर्त्ता/ उपनिरीक्षक श्री अशोक कुमार द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 18.03.2025 में सी.डब्लू. 03 के रूप में अपने बयान अभिलिखित कराये हैं। सी.डब्लू. 03 के बयान के आधार पर मृत्यु आख्या पर प्रदर्श ख–3 डाला गया। सी.डब्लू. 03 द्वारा अपने बयान में प्रस्तुत मामले में दी गयी

मृत्यु रिपोर्ट से संतुष्टी व्यक्त की है।

6– अतः उपरोक्त बयानों, प्रपत्रों तथा विश्लेषण के आधार पर धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मो पुत्र स्व० चौब सिंह निवासी ग्राम भाज्जू थाना बाबरी (भौरा कलां) जिला मुजफ्फरनगर की मृत्यु दिनांक 01.08.2007 में होने के कारण अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मो के विरुद्ध प्रस्तुत सत्र परीक्षण की कार्यवाही उपशमित (Abate) किये जाने योग्य है।

आदेश

1– अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मो पुत्र स्व० चौब सिंह निवासी ग्राम भाज्जू थाना बाबरी (भौरा कलां) जिला मुजफ्फरनगर के विरुद्ध प्रस्तुत सत्र परीक्षण की कार्यवाही उपशमित (Abate) की जाती है।

2– शेष अभियुक्त राजू के विरुद्ध न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

3– पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही 18.04.2025 को पेश हो।

(सौरभ गोयल)

दिनांक 24.03.2025

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–13,गाजियाबाद।